



ई-मेल : ce.hydel@uppc.org
फोन नं० : 0522-2288656

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) 30प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।
CIN : U32201UP1999SGC024928



संख्या : 588-अनु०-दो/सी०ई०एच०/25

दिनांक : ०३ अप्रैल, 2025

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोलिखित अवर अभियन्ता को कारपोरेशन कार्य हित में स्तम्भ-3 में अंकित उनके वर्तमान तैनाती इकाई से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-5 में निगम/कार्यालय को तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/सैप आईडी०	वर्तमान तैनाती इकाई	गृह जनपद	नव आवंटित तैनाती इकाई
1	2	3	4	5
1	श्री मनोज कुमार / 12000892	400 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र मुजफ्फरनगर, उ०प्र० पा०ट्रां०का०लि०	शामली	यू०पी०एस०एल०डी०सी०लि०, विभूति खण्ड, लखनऊ।

उपरोक्त अवर अभियन्ता की तैनाती यू०पी०एस०एल०डी०सी०लि० में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन की जाती है:-

- उपरोक्त अवर अभियन्ता को प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०एल०डी०सी०लि०, के अनुरोध पर यू०पी०एस०एल०डी०सी०लि० में तीन वर्ष अथवा अग्रेतर आदेश, जो भी पहले हो, तक **Secondment** के रूप में तैनाती प्रदान की जाती है। उक्त अवधि के पश्चात यह तैनाती समाप्त मानी जायगी।
- निदेशक यू०पी०एस०एल०डी०सी०लि० उपरोक्त अवर अभियन्ता को तीन वर्ष अथवा अग्रेतर आदेश, जो भी पहले हो, के पश्चात यू०पी०एस०एल०डी०सी०लि० से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यमुक्त कर देंगे।
- उपरोक्त अवर अभियन्ता यू०पी०एस०एल०डी०सी०लि० से कार्यमुक्त होने के पश्चात कारपोरेशन (मुख्यालय) अथवा नव तैनाती स्थल, जो भी लागू हो, में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। यदि तीन वर्ष अथवा निर्धारित अवधि के उपरान्त वह नव तैनाती स्थल पर आकर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो यह समझा जाएगा कि वह नव तैनाती स्थल पर कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं, तदनुसार उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाई आरम्भ कर दी जाएगी।
- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि व सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अवर अभियन्ताओं कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।
- उपरोक्त अवर अभियन्ता को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाये।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में का०ज्ञा० में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।

अध्यक्ष, उ०प्र० पा०का०लि०

क्रमशः.....

संख्या : 588 -अनु०-दो/सी०ई०एच०/25 दिनांक : 03-04-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र० पा०ट्रा०का०लि०, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल, वाराणसी/मध्यांचल, लखनऊ/दक्षिणांचल, आगरा/पश्चिमांचल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
3. निदेशक, यू०पी०एस०एल०डी०सी०लि०, लखनऊ को बिन्दु सं० 03 के अनुरूप ससमय कार्यवाही हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, 400 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र, मुजफ्फरनगर उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०।
6. श्री मनोज कुमार, अवर अभियन्ता, 400 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र, मुजफ्फरनगर उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०।


(विक्रम गगवारि)

वैयक्तिक सहायक-षष्ठम्
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)